न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/188/2022	2022/556	23.12.2022	22.07.2025

1. जगदीश कुमार पुत्र स्व0 श्री त्रिलोक चंद मेंदीरत्ता उम्र करीब 49 साल निवासी 214 स्कीम नंबर 10 ए अलवर (राज0)

—अपीलाण्ट

बनाम

1. सुमित्रादेवी पत्नी स्व0 श्री त्रिलोकचंद मेंदीरत्ता उम्र करीब 46 साल निवासी प्लॉट संख्या 171, स्कीम नंबर 3 अलवर (राज0)
2. नरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री त्रिलोकचंद मेंदीरत्ता उम्र करीब 46 साल निवासी प्लॉट संख्या 171, स्कीम नंबर 3 अलवर (राज0)

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर दिनांक 13.08.2022

उपस्थितिः—
01. श्री जगदीश सैनी — वकील अपीलाण्ट
02. श्री संजीव कारगवाल — वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1
03. श्री मनोज जैन — वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2

—:: निर्णय ::—

अपीलाण्ट द्वारा अपील विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर के निर्णय दिनांक 13.08.2022 प्रकरण संख्या 03/43/2022 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी कर तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया। रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। उभय—पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर में रेस्पोडेन्ट ने आपस में मिल्लत करते हुए एक प्रार्थना पत्र उक्त अधिनियम के तहत बिना मिन अपीलांट को पक्षकार बनाये हुए प्रस्तुत किया था। जिसमें रेस्पोडेन्ट ने मिल्लत करते हुए दिनांक 13.08.2022 को आपस में राजीनामा कर लिया और जिस राजीनामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 13.08.2025 को सादिर फरमा दिया। जिसकी बाबत मिन अपीलांट को कोई जानकारी नहीं हो सकी।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 13.08.2022 की पालना कराये जाने हेतु एक पत्र दिनांक 14.10.2022 को अधीनस्थ न्यायालय से पुलिस थाना कोतवाली अलवर के नाम जारी किया गया, जिस पत्र की पालना में जरिये पुलिस मिन अपीलांट को विवादित दुकाने से दिनांक 22.11.2022 को बेदखल कर दिया गया, जिससे मिन अपीलांट को उक्त समस्त कार्यवाही की जानकारी हुई, जिस पर मैंने अपने वकील श्री अजित प्रकाश शर्मा के जरिये दिनांक 23.11.2022 को नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराया, जिस पर दिनांक 25.11.2022 को नकल प्राप्त होने पर उपरोक्त तथ्यों की जानकारी हुई, जिस पर बाद कानूनी सलाह आज यह अपील बिना किसी देरी के पेश है, जो उपरोक्त प्रकार से अन्दर मियाद पेश है तथा अब तक का समय धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कन्डोन फरमाया जाकर मियाद में शुमार ना फरमाया जावे एवं प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जावे।

उपरोक्त कार्यवाही में रेस्पो0 ने आपस में मिल्लत करते हुए मिन अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया, जबकि मिन अपीलांट एक आवश्यक पक्षकार है एवं उक्त आदेश की पालना में मिन अपीलांट को विवादित दुकान से बेदखल कर दिया गया है। जिस कारण मिन अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय इसे पीडित पक्षकार है और आवश्यक पक्षकार होने के कारण यह अपील पेश है, जिसकी इजाजत सादिर फरमाये जाने हेतु से प्रार्थना पत्र पेश है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हमारी माताजी है। मिन अपीलांट रेस्पोडेन्ट से अलवर प्लॉट संख्या 214 स्कीम नंबर 10 ए, अलवर में निवास करता है एवं रेस्पोडेन्ट ने आपस में मिल्लत करते हुए महज मिन अपीलांट को दुकान से बेदखली करने की नियत से उक्त कार्यवाही में मिन अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया। जबकि विवादित दुकान मिन अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 नरेश कुमार के पिता जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति थे, की लाईरोंरी दुकान है और उस पर हम दोनों भाई ही पिताजी के जीवन काल से ही विवादित दुकान पर बैठकर सिलाई का कार्य करते चले आ रहे थे एवं दिनांक 13.09.2015 को पिताजी का स्वर्गवास होने के पश्चात हम दोनों भाई ही उक्त दुकान पर बैठकर सिलाई का कार्य करते चले आ रहे हैं। इस संबंध में स्वयं नरेश कुमार ने एक शपथ पत्र भी दिनांक 15.03.2016 को लिखकर दिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवादित दुकान पर हम दोनों भाई ही पिताजी के जीवनकाल से व उनके स्वर्गवास होने के पश्चात से बैठकर अपना सिलाई का कारोबार करते चले आ रहे हैं। इस संबंध में मिन अपीलांट ने नगर परिषद अलवर में भी दिनांक 03.03.2016 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए उक्त दुकान को अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम ट्रांसफर ना करते हुए हम दोनों भाईयों के नाम ही ट्रांसफर किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसकी कार्यवाही विचाराधीन है। इस प्रकार विवादित दुकान पर मिन अपीलांट का कब्जा अपने पिताजी के जीवनकाल से ही चला आ रहा है एवं मिन अपीलांट के पास अपना कारोबार करने के लिए अन्य कोई स्थल नहीं है। इस प्रकार विवादित दुकान से मिन अपीलांट को बेदखल किये जाने से नापूर्ति होने वाला नुकसान होता है और बेरोजगार व बरबाद हो जाता है। जो काबिल गौर श्रीमान् है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने कथन किया गया कि रैस्पोडेण्ट संख्या 01 ने पारिवारिक न्यायालय संख्या 01 अलवर में याचिका संख्या 1/212/2021 दिनांक 12.07.2021 के अन्तर्गत धारा 125 सीआरपीसी बाबत पेश किया गया जिसमें उभय पक्ष के मध्य एक राजीनामा 14.05.2022 को पेश किया गया जिसमें याचिकाकर्ता को भरण–पोषण के तहत 9–9 हजार रूपये दोनों पुत्र जगदीश कुमार व नरेश कुमार को जरिये राजीनामा देना तय हुआ परन्तु याचिकाकर्ता सुमित्रा देवी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि दोनों गैर सायलान मेरा हर प्रकार से साल–संभाल करेगें तथा खान–पान व गुजारा भत्ता का पूर्ण ध्यान रखेगें और बहिन–बेटियों को समय–समय पर हर प्रकार से भात–छुछक बराबर देते रहेगें जिस कारण से उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती हूं। इसी स्तर पर प्रकरण को विड्रा कर निस्तारित करने हेतु पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2023 को निस्तारित किया गया। जिसकी प्रमाणित प्रति पेश की गई है।

अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 13.08.2022 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण को पुनः विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किये जाने का आदेश फरमाये व अन्य अनुतोष सादिर फरमाया जाने हेतु निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपील का ऐतराज जवाब पेश किया गया कि जिमन नंबर 01 जिस कदर अंकित किया गया इस हद तक स्वीकार है कि, मिन रैस्पोडेन्ट संख्या 01 कि द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था यह कहना गलत है मिन रैस्पोडेण्ट संख्या 02 के साथ मिल्लत करके अपीलाण्ट को बगैर पक्षकार बनाये प्रार्थना पत्र पेश किया हो बल्कि मिन रैस्पोडेण्ट को केवल मात्र रैस्पोडेण्ट संख्या 02 के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया था जिस कारण उसी के विरूद्ध याचिका दायर की गई थी जिस याचिका में मिन रैस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध न तो कोई अनुतोष चाहा गया और ना ही कोई अनुतोष प्राप्त किया गया शेष जिमन गलत है स्वीकार नहीं याचिका में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मिन रैस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा चाहे गये अनुतोष पर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया गया।

जिमन नंबर 02 जिस कदर अंकित किया गया है इस हद तक स्वीकार है कि दिनांक 14.10.2022 को निर्णय की पालना हेतु एक पत्र पुलिस थाना कोतवाली को जारी किया गया, यह कहना गलत है कि दिनांक 22.11.2022 को पुलिस मुकामी द्वारा अपीलाण्ट को बेदखल कर दिया गया हो और तब अपीलाण्ट को उक्त कार्यवाही की जानकारी हुई तथ्य मिथ्या मनगढंत बनावटी दर्ज किया गया है उक्त प्रकरण की जानकारी अपीलाण्ट को शुरूआत से रही, और अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय होने के बाद अपीलाण्ट द्वारा केवल मात्र तंग परेशान करने की नियत से मिन रैस्पोडेण्ट के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है, अपीलाण्ट का न तो उक्त परिसर से कोई लेना देना रहा और ना ही अपीलाण्ट के द्वारा कभी उक्त दुकान पर बैठकर कोई करोबार किया गया। जिसके बावजूद मिन रैस्पोडेण्ट को इस वयोवृद्धावस्था में तंग परेशान करने की नियत से मौजूदा अपील पेश की गई है जो किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अपीलाण्ट का उक्त याचिका से न तो कोई लेना देना था और ना ही उसके विरूद्ध कोई अनुतोष चाहा गया, ना ही उक्त आदेशो से अपीलाण्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है चूंकि अपीलाण्ट का उक्त दुकान नरेश टेलर्स 15, तिलक मार्केट, अलवर से कोई लेना देना संबंध करोकार नहीं है और नाही कभी रहा है, महज तंग परेशान करने की नियत से अपील पेश की गई है जो पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज है।

जिमन नंबर 05 जिस कदर अंकित किया गया है, गलत है स्वीकार नहीं यह कहना गलत है कि अपीलाण्ट दुकान नंबर 15, तिलक मार्केट अलवर पर बैठता हो अपीलाण्ट कभी भी उक्त दुकान पर बैठा ही नहीं तो उसे बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, यह कहना गलत है कि अपीलाण्ट मिन रैस्पोडेण्ट संख्या 01 के पति के जीवन काल से उक्त दुकान पर बैठकर कोरोबार करता हो, अपीलाण्ट की अपील पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार जब कोई पक्षकार नीचली अदालत में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार नहीं रहा है और उसके द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील दायर की जाती है तो उस स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96 के प्रावधानो के तहत न्यायालय के समक्ष स्वयं को अपीलाण्ट के रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है लेकिन अपीलाण्ट द्वारा कानून के उक्त प्रावधानो के तहत ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अपील हाजा के साथ प्रस्तुत नहीं किया है जिस आधार पर अपील अपीलाण्ट कानूनन पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पर विचार किया गया अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अपीलाण्ट को तहत अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सुमित्रा देवी प्रार्थी अपीलाण्ट की माता जी है माता जी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मेरे छोटे भाई नरेश कुमार को ही पक्षकार रैस्पोडेण्ट बनाया जाकर दोनों ने अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण करवा लिया गया। मुताबिक राजीनामा में तथाकथित दुकान के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से मुताबिक राजीनामा के निर्णय करवा लिया गया, जबकि उक्त दुकान में प्रार्थी अपीलाण्ट अपने पिता के समय से ही सिलीई का कार्य कर रहा है। इस लिये अपीलाण्ट विवादित दुकान में हित निहित है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट एवं रैस्पोडेण्ट प्रार्थी/अपीलाण्ट की माता एवं भाई होने के कारण उक्त अपील में प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थी अपीलाण्ट के उपरोक्त कथन न्यायोचित प्रतीत होने पर प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है एवं इसके बाद प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया गया अपीलाण्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2022 के विरूद्ध दिनांक 21.12.2022 को अपील पेश की है और जानकारी की दिनांक 22.11.2022 को पुलिस द्वारा बेदखल कर दिया गया। विलंब की अवधि को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया गया रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना पत्र दफा 05 का जवाब पेश नहीं किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा पारित निर्णयों में मियाद के बिन्दु पर गौर न किया जाकर मूल अपील में वर्णित तथ्यों के गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है। माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलंब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के निर्णय दिनांक 13.08.2022 के संबंध में अनुतोष हेतु निवेदन किया गया है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.08.2022 को निरस्त किया जाकर पुनः विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने आपसी मिल्लत कर राजीनामा के आधार पर लोक अदालत की भावना से अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय पारित करवा लिया गया जिसमें अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट और रेस्पोडेण्ट मेरी माता व छोटा भाई है। इसी प्रकार मेरी माता सुमित्रा देवी ने पारिवारिक न्यायालय संख्या 01 अलवर में याचिका संख्या 1/212/2021 दिनांक 12.07.2021 को अन्तर्गत धारा 125 सीआरपीसी बाबत पेश किया गया जिसमें उभय पक्ष के मध्य एक राजीनामा 15.05.2022 को पेश किया गया जिसमें याचिकाकर्ता को भरण–पोषण के तहत 9–9 हजार रूपये दोनों पुत्र जगदीश कुमार व नरेश कुमार को जरिये राजीनामा देना तय हुआ परन्तु याचिकाकर्ता सुमित्रा देवी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि दोनों गैर सायलान मेरा हर प्रकार से साल–संभाल करेगें तथा खान–पान व गुजारा भत्ता

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

का पूर्ण ध्यान रखेगें और बहिन–बेटियों को समय–समय पर हर प्रकार से भात–छुछक बराबर देते रहेगें जिस कारण से उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती हूं। इसी स्तर पर प्रकरण को विड्रा कर निस्तारित करने हेतु केस किया गया जिससे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2023 को निस्तारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाकर एकपक्षीय में माता एवं पुत्र के राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के नियमों की पालना नहीं की जाकर मुताबिक राजीनामा के ही निर्णय पारित कर दिया गया जिससे अपीलाण्ट का हित बाधित होना जाहिर हो रहा है और अपीलाण्ट को तथाकथित दुकान से बेदखल किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2022 न्यायसंगत प्रतीत नहीं होने पर निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.08.2022 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के नियमों के अन्तर्गत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अलवर (राजस्थान)